

\*Reventa Members' Association\*

\_Bulletin #3 || 30-Jun-2023\_

\*LAND ATTACHMENT CASE STATUS\*

Hon'ble members,

1. As we know that some of the members of the society had moved to RERA for their refund in turn RERA has issued orders to REVANTA MS CGHS LTD to pay them with 9% interest.
2. As per society Act 2002 there is no provisions for refund of money invested by the registered members since the money has already been invested in the land and land in respect of the members has also been deposited to DDA.
3. The members who did not get refund from REVANTA MS CGHS Ltd proceeded to RERA for their claim . RERA passed judgement in their favour wherein execution orders for land attachment has been passed. Apropos, SDM Dwarka has attached 6 Bigha 19 Biswa land of K1 Zone for the payment of 7 members only.
- 4 In view of the above and to safeguard the investment of 4000 members of the society the members of the ASSOCIATION moved to APPELLETE AUTHORITY RERA to safeguard the land as well as the society.
- \*5. The case has been listed and the date of hearing is 05 Jul 2023.\*
6. Hope for the best.

Dr Parneeta Joon,  
Member – L Zone

रेवान्ता मेम्बर्स एसोसिएशन  
बुलेटिन-3 दिनांक 30-जून-2023

लैण्ड अटैचमेण्ट केस का स्टेटस

माननीय सदस्यगण,

1. जैसा कि हम जानते हैं कि सोसायटी के कुछ सदस्य अपने रिफंड के लिए रेरा के पास गए थे, जिसके बाद रेरा ने रेवंता एमएस सीजीएचएस लिमिटेड को उन्हें 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
2. लेकिन सोसायटी एक्ट 2002 के अनुसार रजिस्टर्ड मेम्बर्स द्वारा निवेश किए गए धन की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि धन पहले ही

भूमि में निवेश किया जा चुका है और सदस्यों से सम्बन्धित भूमि डीडीए में जमा हो चुकी है।

3. जिन सदस्यों को रेवंता एमएस सीजीएचएस लिमिटेड से रिफंड नहीं मिला, वे अपने दावे के लिए रेरा के पास गए। रेरा ने उनके पक्ष में फैसला सुनाकर लैण्ड अटैच करके धन वापसी की कार्रवाई के आदेश पारित कर दिए। इस प्रकार, एसडीएम द्वारका ने केवल 7 सदस्यों के भुगतान के लिए के1 जोन की 6 बीघा 19 बिस्वा जमीन अटैच कर दी है।
4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और सोसायटी के 4000+ सदस्यों के निवेश की सुरक्षा के लिए, एसोसिएशन के सक्रिय-मेम्बर भूमि के साथ-साथ सोसायटी की भी सुरक्षा के लिए रेरा-अपील-अथॉरिटी में चले गए हैं।
5. मामला लिस्ट में आ गया है और सुनवाई की तारीख 05 जुलाई 2023 तय हो गई है।
6. मेम्बरों के हक सुरक्षित रहेंगे, ऐसी आशा है।

डॉ. परणीता जून